



## रायपुर विकास प्राधिकरण

भक्त माता कर्मा व्यावसायिक परिसर  
न्यू राजेन्द्रनगर, रायपुर (छत्तीसगढ़)

### अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना

(क्रमांक-36 दिनांक 05.08.2015)

रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा छ.ग. शासन के विभिन्न कार्य विभागों में प्रचलित एकीकृत पंजीयन व्यवस्थायी पंजीयन के अंतर्गत "द" श्रेणी एवं उससे ऊपर की श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से प्रचलित दर अनुसूची छ.ग. शासन लोक निर्माण विभाग के भवन एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से लागू तथा निविदा आमंत्रण की तिथी तक संशोधित दर पर मुहरबंद लिफाफे में निम्नलिखित कार्य हेतु प्राधिकरण की निर्धारित निविदा प्रपत्र 'अ' में कम या अधिक प्रतिशत दर पर दिनांक 22.08.2015 को अपराह्न 4:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है, जिसे उसी दिन अपराह्न 4.15 बजे प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित निविदाकर्ताओं के समक्ष खोली जावेगी। उक्त आमंत्रण सूचना तथा आगामी संशोधन वेबसाइट [www.rdaraiipur.com](http://www.rdaraiipur.com) में देखा जा सकता है।

| क्रं. | कार्य का विवरण  | अनुमानित लागत | धरोहर राशि  | कार्य पूर्ण करने की अवधि    |
|-------|---|---------------|-------------|-----------------------------|
| 1     | 2   | 3             | 4           | 5                           |
| 1.    | प्राधिकरण की "इंद्रप्रस्थ" फेस-1 रायपुरा योजनांतर्गत 03 गार्डनों में पाथवे एवं घास लगाने का कार्य | रु. 10.57 लाख | रु. 8,000/- | तीन माह<br>(वर्षा ऋतु सहित) |

निविदा प्रपत्र प्राधिकरण कार्यालय में सहायक अधीक्षक (तक0) से शासकीय कार्य दिवसों में दिनांक 21.08.2015 तक (दोपहर 1.30 बजे तक) रु. 750/- नगद राशि जमा कर प्राप्त किया जा सकता है। धरोहर राशि दिनांक 22.08.2015 को 1.30 बजे तक एफ.डी.आर के रूप में जो कि रायपुर विकास प्राधिकरण, रायपुर के नाम पर देय हो, प्रस्तुत करना होगा। निविदा प्रपत्र प्राप्त करने के लिए ठेकेदारों को निम्नानुसार जानकारी/अभिलेख प्रस्तुत करना अनिवार्य है :-

(1) निर्धारित श्रेणी का वैध पंजीयन। (2) वाणिज्यिक अधिनियम अंतर्गत पंजीयन। (3) किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा रु. 3.00 लाख रुपये तक का अधिप्रमाणित शोध क्षमता प्रमाण-पत्र। (4) सर्विस टैक्स पंजीयन प्रमाण-पत्र जमा करना होगा। (5) कर्मचारी राज्य बीमा निगम (E.S.I.C.) संबंधित दस्तावेज।

उपरोक्त क्रमांक 1 से 5 तक के लिए दस्तावेजों के फोटो कॉपी निविदा प्रपत्र आवेदन के साथ प्रस्तुत करना होगा तथा मूल प्रति भी दिखाना होगा। इन शर्तों के अतिरिक्त प्राधिकरण में कार्य कर चुके/कार्यरत ठेकेदारों द्वारा कार्य को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने में अनावश्यक विलंब के संबंध में विचारोंपरांत ही निविदा प्रपत्र प्रदान करने का निर्णय कार्यालय द्वारा लिया जाएगा।

o/c

कार्यपालन अभियंता  
रायपुर विकास प्राधिकरण,  
रायपुर (छ.ग.)